राजस्थान में पर्यटन का विकास

4159. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के ऐतिहासिक और रेगिस्तानी क्षेत्रों म विदेशी पर्यटकों का आवागमन अधिक रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन क्षेत्रों के विकास के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है ;

(ग) यदि हां, तो वे कौन-कौन से क्षेत्र हैं और योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस तरह की योजनाओं में राज्य सरकार को हिस्सेदार बनाया है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सरकार ने विकास के लिए राजस्थान में जैसलमेर-जोधपुर-बीकानेर-बाड़मेर परिपथ अभिनिर्धारित किया है ।

(घ) इस परिपथ का विकास कार्य केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता से राज्य सरकार द्वारा आरम्भ किया जाएगा ।

इंडियन एयरलाइन्स और वायुदूत में हड़ताल

4160. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान वायुदूत और एयरलाइन्स में कितनी बार हड़ताल हुई है ;

(ख) इन हड़तालों के क्या कारण थे और इस संबंध में श्रमिकों के साथ हड़तालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या समझौता किया गया है ; और

(ग) इन हड़तालों के परिणामस्वरूप कितने मानव दिवसों की हानि हुई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स में कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन करने की कुछ छुट-पुट घटनाओं के अतिरिक्त पिछले दो वर्षों के दौरान अखिल भारतीय स्तर की तीन हड़तालें हुई । इस अवधि के दौरान वायुदूत में कोई हड़ताल नहीं हुई सिवाय इसके कि एक इंजीनियर द्वारा उसे सौंपे गये कतिपय कर्तव्यों का पालन करने से इन्कार करने पर, उसे निलंबित किये जाने के विरुद्ध स्टाफ के एक हिस्से ने 31 जुलाई, 1992 को आन्दोलन कर दिया था ।

इंडियन एयरलाइन्स में जिन कारणों से हड़ताल हुई हैं वे संलग्न विवरण में बताए गए हैं । कर्मचारियों के साथ कोई समझौता नहीं हो सका ।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स में हड़तालों के परिणामस्वरूप हुई मानव दिवसों की हानि की संख्या निम्न प्रकार है :—

हड़ताल की तारीख	मानव दिवसों की हानि
11/12-7-90	11, 137
29-11-91	10, 497
11-6-92	12, 493

विवरण

वायु निगम कर्मचारी संगठन/भारतीय विमान तकनीशियन संघ/भारतीय वाणिज्यिक

विमानचालक संघ/एयरलाइंस रेडियो अधिकारी व उड़ान परिचालन का अधिकारी संघ/भारतीय उड़ान इंजीनियर संघ द्वारा 11/12 जुलाई, 1990 को की गई हड़ताल के कारण :

1. सरकार, संकट को हल करने हेतु प्रतिनिधित्व कर रहे संगठन/संघ के साथ तरीके ढूंढने के लिए संयुक्त रूप से तत्काल बातचीत प्रारंभ करे।

2. अधिक समय की बरबादी किये बिना ए–320 विमान के परिचालन पर एक दृढ़ निर्णय ले लिया जाये।

3. ए–320 विमान के संबंध में निर्णय लिये जाने तक की अवधि के दौरान, इंडियन एयरलाइंस किसी विदेशी एजेंसी से वेट लीज पर विमान प्राप्त न करे।

4. निजी उद्यमों द्वारा भारत में वाणिज्यिक विमान-परिवहन करने पर रोक लगाई जाए।

5. वायुदूत को केवल फीडर मार्गों पर परिचालन करने की अनुमति होनी चाहिए तथा उन्हें विदेशी वाहनों से वेट लीज पर विमान परिचालन करने से रोका जाये।

6. प्रभावी निष्पादन के लिए वायु निगम अधिनियम, 1953 के प्रावधान के अनुसार इंडियन एयरलाइंस के प्रबंधक वर्ग में प्राधिकार जारी रखा जाये।

वायु निगम कर्मचारी संगठन द्वारा 29 नवम्बर, 91 को की गई हड़ताल के लिए कारण :

1. ट्रेड संगठनों के साथ परामर्श करके भारत सरकार की औद्योगिक एवं आर्थिक नीतियों को पुनः तैयार करना।

2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के सभी उपायों को रोकना।

3. त्रिपक्षीय मंहगाई भत्ता समिति की सिफारिशों को तत्काल अंतिम रूप देना।

4. पेंशन के संबंध में बी.पी.ई. परिपत्र को समाप्त करना तथा 1979 में हुए समझौते के अनुसार इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया में पेंशन स्कीम लागू करना।

5. एन.आई.टी. को भेजे गए संदर्भ को वापस लेना तथा मांग पत्र पर त्रिपक्षीय बातचीत प्रारंभ करना।

6. सभी कर्मचारियों को बोनस का भुगतान सुनिश्चित करना।

7. भर्ती पर प्रतिबंध हटाना।

8. आफ लोडिंग आफ जाब्स तथा स्थायी एवं चिरस्थायी प्रकृति के कार्यों में ठेके पर कर्मचारियों को लगाने पर सांविधिक प्रतिबंध लगाना।

9. जनवरी, 1990 में आयोजित संगोष्ठी की सिफारिशों को पृष्ठांकित किए जाने वाले भारतीय श्रम सम्मेलन के निष्कर्षों पर आधारित प्रबंधक वर्ग में श्रमिकों की भागीदारिता के विधेयक को तत्काल अधिनियमित करना।

10. इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपनियोजन का सहारा न लेना।

वायु निगम कर्मचारी संगठन/भारतीय विमान तकनीशियन संघ द्वारा 16 जून, 1992 की की गयी हड़ताल के कारण :

I. वायु निगम कर्मचारी संगठन :

1. वायु निगम (उपक्रमों का हस्तांतरण तथा निरसन) विधेयक, 1992 को वापस लेना।

2. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के सभी उपायों को रोकना।

3. ट्रेड संगठनों के साथ परामर्श करके भारत सरकार की औद्योगिक एवं वाणिज्यिक नीतियों को पुनः तैयार करना।

4. आफ लोडिंग आफ जाब्स तथा स्थायी एवं चिरस्थायी प्रकृति के कार्यों में ठेके पर कर्मचारियों को लगाने पर सांविधिक प्रतिबंध लगाना।

5. जनवरी, 1990 में आयोजित संगोष्ठी की सिफारिशों को पृष्ठांकित किए जाने वाले भारतीय श्रम सम्मेलन के निष्कर्षों पर आधारित प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारिता के विधेयक को तत्काल अधिनियमित करना।

6. सभी कर्मचारियों को बोनस भुगतान सुनिश्चित करना।

7. पेंशन के संबंध में बी.पी.ई. के परिपत्र को समाप्त करना तथा पेंशन स्कीम को तत्काल अंतिम रूप देना।

8. त्रिपक्षीय डी.ए. समिति की सिफारिशों को तत्काल अंतिम रूप देना।

9. एन.आई.टी. को को भेजे गए संदर्भ को वापस लेना। वेतन के संशोधन पर द्विपक्षीय बातचीत प्रारंभ करना। अंतिम निर्णय लिये जाने तक तत्काल अंतरिम राहत का भुगतान किया जाए।

II. भारतीय विमान तकनीशियन संघ

1. वायु निगम अधिनियम, 1953 के निरसन संबंधी प्रस्ताव को वापस लिया जाए।

2. एन.आई.टी. को भेजे गए संदर्भ वापस लिए जाएं और द्विपक्षीय बातचीत शुरू की जाए।

3. मांगपत्र को अंतिम रूप दिये जाने तक अंतरिम राहत का भुगतान किया जाए।

4. इंडियन एयरलाइंस के सभी कर्मचारियों के लिये समुचित पेंशन योजना लागू की जाए।

5. मौजूदा डी.ए. टैरिफ को तत्काल अंतिम रूप दिया जाए।

6. बोनस की अधिकतम सीमा को बढ़ाया जाए।

7. तकनीशियनों के लिये अनुमोदन प्रणाली शुरू की जाए।

8. निरीक्षकों का अधिक अनुमोदना/कवरेज।

9. मौजूदा वर्क लोड से ठेके के सभी उपायों को रोका जाए।

10. समानता/सापेक्षता कायम रखी जाए।

11. अन्य सभी लंबित मामलों को निपटाया जाए।

Transportation of Books by Air India

4161. SHRI JOHN F. FERNANDES: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether his Ministry have received any requests from various State Governments/Institutions to permit Air India to transport rare books donated by foreign countries/ universities;

(b) if so, how many such requests have been received Statewise and the names of Indian Institutions who applied; and

(c) what is Government's response thereto?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) No, Sir.

(b) and c) Do not arise.